

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
श्रृंखला न्यायालय-बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./20/2017

Filling No. CRA554/2017

CNR MP 500500008842014

संस्थित दिनांक - 01.12.2015

नरसिंह अर्मो पिता सूरत सिंह उम्र 35 वर्ष जाति गोण्ड

निवासी-ग्राम गोहारा थाना बैहर जिला बालाघाट ..... अपीलार्थी ।

// // विरुद्ध // //

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र- बैहर

तहसील बैहर जिला बालाघाट .....

उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट  
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-67/2013 में पारित निर्णय  
दिनांक 02.11.2015 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के  
अंतर्गत यह दण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

=====

श्री अजय बिसेन अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण ।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य ।

=====

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक **04 अप्रैल 2016** को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 67/2013 शासन बनाम नरसिंग में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2015 से परिवेदित होकर पेश की गई है।

2. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2013 की रात्रि में करीब 9-10:30 बजे के करीब ग्राम गोहारा अंतर्गत थाना बैहर में नरसिंग के विरुद्ध प्रार्थिया अंजूबाई ने उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई थी कि वह खाना खाकर सो गई थी, नरसिंग गोहारा का मोटरसायकल

से आया, मोटरसायकल झोपड़ी के बाहर खड़ी कर झोपड़ी के अंदर घुस गया और बोला कि उसके लिए दारू लाओ, खाना बनाओ, यहीं सोएगा। वह प्रार्थिया के माता-पिता को दारू लाने पैसे दे रहा था तब पिता ने मना कर दिया, नरसिंग प्रार्थिया की खटिया पर जहाँ वह सो रही थी वहाँ आकर बेईज्जती करने की नियत से प्रार्थिया के दोनों सीना को दबाने लगा, उसने हल्ला की और अपनी खाट पर से धक्का देकर वह स्वयं उठ गई। वह गंदी-गंदी गालियां देकर बोला कि यहीं झोपड़ी में सोएगा, नहीं सोने दिया तो झोपड़ी जला देगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थिया के पिता को आरोपी ने लकड़ी उठाकर कमर में मारा। वह बीच बचाव करने आयी तो धक्का मारकर गिरा दिया जिससे दोनों घुटनों में चोट आयी। पसली पर मारा और रिपोर्ट करने जाओगी तो जान से मार डालने की धमकी दी, आशय की प्रथम सूचना लेख कराने पर अपराध क्रमांक 11/2013 धारा 456, 354, 294, 323, 506बी भा.द. वि. के अधीन अपराध की कायमी कर आहत व्यक्तियों की एम.एल.सी. कराने के लिए आवेदन पत्र लेख कर अस्पताल प्रेषित किया। घटनास्थल पर आकर मौकानक्शा अंजू की निशादेही पर बनाया, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, प्रार्थिया के हाथ की टूटी हुई चूड़ियां मौके से जप्त कर जप्तीपत्र बनाया, अभियुक्त से मोटरसायकल, आर.सी.बुक, लाईसेंस, एक डंडा जप्त किया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, सावित्रीबाई का एक्सरे परीक्षण कराया गया, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन नहीं किया है। विधि की मान्यता के विपरीत दण्ड अधिरोपित कर कानून की भूल की है। दारू पीने को लेकर विवाद प्रमाणित होता है। आरोपी ने फरियादी के साथ कोई घटना कारित नहीं की। साक्षियों के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। प्रथम सूचना विलंब से लेख कराई है। घटना रात 9 बजे एवं 11 बजे बताने से संदेह उत्पन्न होता है। चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में घटना का समर्थन नहीं होता है। पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा निरस्त कर दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

4. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क. 67/13, शासन विरुद्ध नरसिंग, निर्णय दिनांक 02.11.2015 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

5. अभिलेख पर प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 12 के दस्तावेजों को प्रदर्शित चिन्हित कराया है। जिनमें प्रथम सूचना प्र.पी. 1 है जिसकी पुष्टि अंजू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन में साक्ष्य देकर की है तथा राजिक सिद्धिकी (अ.सा.11) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में प्रार्थिया अंजूबाई की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी नरसिंग के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज की थी जो प्र.पी. 1 है जिसके बी से बी भाग पर कथन होना साक्ष्य दी है। इन दोनों साक्षियों के कथनों प्र.पी. 1 के संबंध में दी गई साक्ष्य का कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं है।

6. अंजूबाई (अ.सा.1) ने अपने कथन के पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक को खाना खाकर अपने घर में सो रही थी। उसी समय साक्षी की खाट में आकर आरोपी सो गया, साक्षी के साथ छेड़खानी करने लगा, बुरी नियत से साक्षी के कपड़े खींचकर साक्षी का सीना दबा रहा था। इस साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं है।

7. झनकराम (अ.सा.2) ने भी पद क्रमांक 2 में साक्ष्य देकर स्वीकार किया है कि दिनांक 14.01.13 को रात्रि में वह उसकी पत्नी सावित्री और पुत्री अंजू खाना खाकर सो गए थे। आरोपी मोटरसायकल लेकर आया और बोला कि उसके लिए दारू लाओ, खाना बनाओ, वो यहाँ सोएगा तब उसने मना किया। आरोपी ने झोपड़ी में आग लगाने की धमकी दी थी। अंजू को बुरी नियत से दोनों सीना दबाया वह चिल्लाई उसे धक्का देकर साक्षी को और उसकी पत्नी को गालियां दी। रिपोर्ट करने पर खत्म करने की धमकी दी। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री का सीना दबाते हुए साक्षी ने

नहीं देखा। यह इंकार किया है कि पुलिस को प्र.पी. 5 का कथन नहीं दिया था।

8. प्रहलाद (अ.सा.3), महिपाल (अ.सा.5), लता (अ.सा.6), ललिता (अ.सा.7), भगत सिंह (अ.सा.9), मोहनलाल (अ.सा.10) के कथनों में तात्त्विक बिंदु पर सार्थक साक्ष्य नहीं है, इसलिए इन साक्षियों के कथनों को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पक्षकारों के मध्य धारा 323, 323, 323, 294, 506 भाग—दो भा.द.वि. के अपराध में राजीनामा हो जाने से डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा. 8) के कथन को शेष अपराध के निराकरण हेतु लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

9. सावित्री (अ.सा.4) ने साक्ष्य दी है कि आरोपी को जानती है। फरियादी अंजू साक्षी की पुत्री है। घटना दिनांक को साक्षी स्वयं, उसकी पुत्री और पति खाट पर सोए थे। आरोपी साक्षी की लड़की के खाट में सो गया था, पति ने कहा तुम नहीं सो सकते। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि आरोपी किस नियत से आया था जानकारी नहीं है। यह इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को झोपड़ी में नहीं आया था और अंजू की खटिया पर नहीं सोया था। यह इंकार किया है कि साक्षी की पुत्री ने आरोपी द्वारा सीना दबाने वाली बात नहीं बताई थी।

10. राजिक सिद्धीकी (अ.सा.11) ने मुख्य कथन में साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.01.13 को थाना बैहर में सहा.उ.नि. के पद पर पदस्थ था। प्रार्थिया अंजू की मौखिक रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 11/13 धारा 354, 456, 294, 323, 506बी भा.द.वि. के अधीन आरोपी नरसिंग के विरुद्ध प्रथम सूचना प्र.पी. 1 दर्ज की थी जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिन प्रार्थिया की निशादेही पर मौकानक्शा प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को अंजूबाई के गवाहों के समक्ष कत्थाई कलर की टूटी हुई चूड़िया, गोल्डन कलर की बिंदी को प्र.पी. 6 के अनुसार जप्त किया था जिसके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर हैं। आरोपी से बांस का डंडा, हीरो होण्डा स्प्लेंडर प्लस नंबर एम.पी. 50 एम.बी. 1686 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्तीपत्र प्र.पी. 7 तैयार किया था जिस पर सी से सी भाग पर साक्षी के



हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 8 तैयार किया था, प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्ष्य का खंडन नहीं है।

11. मामले में किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। प्र.पी. 1 की रिपोर्ट संदेह से परे प्रमाणित है। प्रार्थिया अंजूबाई द्वारा धारा 354 भा.द.वि. के संबंध में स्पष्ट कथन किया है। प्रार्थिया के पिता का प्रतिपरीक्षण में यह कथन कि उसने अभियुक्त को अंजूबाई का सीना दबाते नहीं देखा, वह भी सत्य है क्योंकि वे सो रहे थे। अभियुक्त ने अंजू की खटिया पर लेटकर अंजूबाई के कपड़े खींचकर अंजूबाई के दोनों सीने (स्तन) को दबाने लगा, का सीधा आशय महिला की लज्जा भंग करना है। अभियुक्त/अपीलार्थी का यह कहना कि वह आज यहीं सोएगा, से भी यह स्पष्ट है कि वह पहले से ही यह मन बनाकर मोटरसायकल से आया था कि वह रात्रि अंजू के साथ सोएगा। इस प्रकार अभियुक्त का आने का उद्देश्य अपराध करना स्पष्ट है।

12. **धारा 458 भा.द.वि. इस प्रकार है :-** उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन – जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के या हमला के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन करेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जावेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

13. इस मामले में हमला/उपहति/आपराधिक बल द्वारा उपहति की साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान है। अभियुक्त/अपीलार्थी अभियोक्त्री तथा उसके माता पिता की अनुमति पश्चात् झोपड़ी के अंदर आया, का सुझाव नहीं है। इसलिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार का मामला स्पष्ट रूप से संदेह से परे अभिलेख पर प्रमाणित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 458, 354 भा.द.वि. के अपराध हेतु दोषसिद्ध पाकर दण्डादेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रस्तुत अपील में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत निर्णय एवं दण्डाज्ञा की पुष्टि की जाती है।

14. अतः अपीलार्थी नरसिंग की ओर से पेश **अपील सारहीन से अस्वीकार कर निरस्त** की जाती है।

15. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आरोपी/अपीलार्थी नरसिंग को गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से उपस्थित करार सजा भुगताई जावे। पंजी में परिणाम दर्ज किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित  
किया गया।

सही /—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

सही /—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर